संख्या: 14/2019/ 600 /सत्रह-म-2019-6-9 (9)/14 टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 06 जून,2019

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 268.6185 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या -126/नि0शा0/2019-20 दिनांक 10 मई.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त /पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 177.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में केन्दांश रू0 161.1711 लाख एवं राज्यांश रू0 107.4474 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 268.6185 लाख (दो करोड अरसठ लाख इकसठ हजार आठ सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 1203113/48/2017- एफ वाई-।। दिनांक 12 सितम्बर 2018 द्वारा कुल रू0 5151.86 लाख की परियेाजनाएं स्वीकृत की गयी थी, जिनमें से केन्द्रांश रू0 1608.86 लाख, राज्यांश रू0 1140.40 लाख एवं लाभार्थी अंश 2626.50 लाख की धनराशि निहित है। केन्द्रांश रू0 1608.86 लाख के अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 1203113/48/2017-एफ वाई-।। दिनांक 12 सितम्बर 2018 द्वारा सामान्य मद हेतु रू0 569.43 लाख, अनुसूचित जाति मद हेतु रू0 177.00 लाख,अनुसूचित जनजाति मद हेतु 58.00 लाख अर्थात कुल रू0 804.43 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की समस्त अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रीय सहायता को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। अनुसूचित जाति हेतु ब्लू रिवोल्युशन योजनान्तर्गत् वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में रू0 736.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 177.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रू0 161.1711 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 107.4474 लाख अर्थात कुल रू0 268.6185 लाख (रू0 दो करोड अरसठ लाख इकसठ हजार आठ सौ पचास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

मात्र) को निम्न तालिकानुसार 04 मदों मे श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम (के0:रा0:ला0 अंश)	भौतिक इकाई	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान (के0+रा0)	अनुसूचित मद में अवमुक्त केन्दांश रू0 177.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	नये तालाबों का निर्माण (एस0सी0/एस0टी0/महिला) (36%:24%:40%:)	100 हे0	7.0	700	420	61.5762	41.0508	102.6270	मत्स्य निदेशालय के पत्रांक-126 /नि0शा0/2019-20 दिनांक 10 मई, 2019 द्वारा संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट /विवरण के अनुसार
2	मत्स्य पालन हेतु नये तालाबों में निवेश (एस0सी0/एस0टी0/महिला) (36%:24%:40%:)	100 हे0	1.5	150	90	13.1949	8.7966	21.9915	
3	मोटर साइकिल सहित आइस बाक्स का क्रय (एस0सी0/एस0टी0/महिला) (36%:24%:40%:)	350 सं0	0.60	210	126	36.72	24.48	61.20	
4	मनरेगा तालाबों में निवेश (एस0सी0/एस0टी0/महिला) (36%:24%:40%:)	150 हे0	1.5	225	135	49.68	33.12	82.80	
				योग -		**161.1711**	**107.4474**	**268.6185**	

(रू0 दो करोड अरसठ लाख इकसठ हजार आठ सौ पचास मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या- संख्या- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- संख्या- 2/2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज आर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 तथा शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैक में जमा नहीं किया जायेगा।

(10) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना(के036/रा024/ला040-के0+रा0) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या-14 /2019 / 600(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।